न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0–620/2020

दाउदनगर थाना कांड संख्या–215/2020

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मनोज कुमार (अ0 पदाधिकारी) ।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री रवीन्द्र कुमार ।

19.08.2020 कारागीन अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उर्फ देवेन्द्र महतो की ओर से ई–फायलिंग के तहत शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है ।

वीडीयो कांफ्रेंसिंग के तहत सुनवाई करते हुए आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है और न ही लंबित है । प्राथमिकी में जैसा वर्णित है, वैसी कोई समान आवेदक के पास से बरामद नही हुआ है । एक सोची समझी रंजिश के तहत आवेदक को इस वाद में फंसाया गया है । आवेदक का सादा पेपर पर हस्ताक्षर बनाकर झूठा मनगढं.त जप्ती सूची और स्वीकारोक्ति बयान बना दिया गया है । आवेदक को स्थानीय राजनीति के तहत उक्त मुकदमा में फंसा दिया गया है । जप्ती सूची पर किसी भी स्वतंत्र गवाहो की हस्ताक्षर नही बनाया गया है । आवेदक दिनांकः–27.07.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा **25(1-b)a/26** शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि पुलिस को दिनांक–26.07.2020 को समय करीब 11:45 बजे गुप्त सूचना मिला कि मखरा के राजेन्द्र सिंह वकील हत्या में शामिल संदिग्ध अपराधी मखरा के राजेन्द्र महतो के झोपड.ी में बैठा हुआ है । इस सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस के द्वारा जब प्रस्थान किया गया तो करीब 12:30 बजे मखरा गाँव के बाहर दाउदनगर पचरूखियाँ मुख्य सड.क के उत्तर स्थित फार्म के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था । पुलिस को अपनी ओर आता देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पकड. लिया गया । तलासी के क्रम में आवेदक के पास से एक लोहे का देशी कट्टा, जिसमें .315 बोर का एक जिन्दा कारतूस लगा हुआ था एवं एक अन्य .315 का जिंदा गोली जो पहने हुए पैंट से बरामद किया गया । आवेदक से पूछताछ करने पर इन्होने राजेन्द्र सिंह वकील ग्राम मखरा हत्याकांड में भी अपना संलिप्तता का कथन किया । आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है । जप्ती सूची अभिलेख पर है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । उक्त वाद में अनुसंधान जारी है । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ तथा आरोपित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।